

पीठासीन अधिकारी - स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या - 004 / 2024

1. रशमी पत्नी रघु श्री सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अमरी देवी पत्नी रघु श्री जीतराम पुत्र सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी केरावाली तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।

- - कादीमन

बनाम

1. पद्मराम पुत्र सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शंकर पुत्र सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. वहीराज पुत्र सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अमित कुमार पुत्र रघु जीतराम पुत्र सोहन लाल जाति कास्मिरी निवासी केरावाली तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।

- - अधिकारीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर टी ए बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 15.04.2024

इस की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिकांक अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वार में आज तारीख 15/04/2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अंतिम लिखतार के त्रिपक्षीय आवेदन शिर्षक अंतिम टिब्बी की जाती है कि वारी के विधान अधिकांक की स्वयं का मन-बुझने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन के बाद वार इन स्थिति में निर्णय करने पर राजस्थान करकाकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वार वार के लिए एक नम्बर 8 के एम.आर के तहत संख्या 167/132 में अधिलेख कुल 2277 रु.00 की धुमि व रु. 800 रु.00 की धुमि के नाम अधिलेख 1/2 विभागांक 11300 रु.00 की धुमि का कादीमन को अधिकांक के तहत वार करकाकारी घोषणा करने का नम्बर 8 के एम.आर के तहत संख्या 167/132 में ही सौंपने का नम अधिनियम की धारा के आवेदन शिर्षक की जाती है। इसी अनुसार राजस्व अधिनियम में अंतिम लिखतार।

राजस्थान अधिकांक
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी



